Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-153/2024]
Domi Rishi...Appellants.
Versus
The State of Bihar & Anr..Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	02.2.2026	**आदेश**	

यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या-55/2023-24 में दिनांक-16.5.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
बनमनखी	अख्तियारपुर/102	592	464	03 डी.

दिनांक 14.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन सहित अन्य जमीन (कुल रकवा-06 डी.) उनके पिता-स्व. बिंदेश्वरी ऋषि के नाम से लाल कार्ड के माध्यम से बंदोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया। जिसके उपरान्त उनके पिता के नाम से जमाबंदी सं.-1263 कायम हुआ। उनका कहना है कि उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत घर-मकान प्राप्त हुआ, जिसमें उनका पूरा परिवार शांतिपूर्ण तरीके से वास करता आ रहा है। तथा यह कि उनके घर का दक्षिणी दीवार एवं विपक्षी के घर का उत्तरी दीवार परस्पर बगल में पड़ता है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से बिना किसी अमीन से नापी कराये ही आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है। अतः उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। जबकि विपक्षी का कहना है कि उनके पिता- स्व. बुचाय ऋषि को बंदोबस्ती वाद सं. -7/87-88 के द्वारा प्रश्नगत खेसरा में 12 डी. जमीन प्राप्त हुआ, जिसके उपरान्त उनके पिता के नाम से जमाबंदी सं.-1368 कायम हुआ। तथा यह कि अपीलार्थी के द्वारा उनके हक वाली 3 डी. जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय में लाल कार्ड से संबंधित बंदोबस्ती पर्चा से संबंधित कोई कागजात समर्पित नहीं किया गया। जिसके आधार पर विपक्षी के द्वारा उनके जमीन से अपीलार्थी के अवैध कब्जा को हटाने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी के पिता को बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर प्रश्नगत खेसरा से 12 डी. जमीन प्राप्त है, जबकि अपीलार्थी के पिता को बंदोबस्ती पर्चा के आधार पर उसी खेसरा में 6 डी. जमीन प्राप्त है। उभय पक्ष द्वारा समर्पित बंदोबस्ती कागजात के आधार पर यह परिलक्षित हो रहा है कि दोनों पक्ष परस्पर

	02.2.2026	एक-दूसरे के चौहद्दीदार हैं। कागजातों के आधार पर यह स्थापित हो रहा है कि उभय पक्ष के बीच प्रश्नगत खेसरा की जमीन के मापी/सीमांकन का विवाद है। तथा यह कि उक्त विवाद के समाधान हेतु प्रासंगिक खेसरा सं.-464 के जमीन का मापी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। अतः तदनुसार निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अंचल अधिकारी, बनमनखी को निदेश दिया जाता है कि अंचल अमीन की टीम बनाकर उभय पक्ष के उपस्थिति में प्रश्नगत खेसरा सं.-464 की जमीन का मापी एवं सीमांकन करायेंगे। तथा यह कि मापी के अनुरूप विधिमान्य दखल-कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 02/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 02/2/2026. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	